न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–535/2012 (जीसीएमएस नं. 2012/00181)

1. रामचन्द्र पुत्र स्व. घासीराम जाति जाट निवासी बालापुरा (लदाना), तहसील फागी, जिला जयपुर।

.....अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमति ग्यारसी देवी पत्नी रामचन्द्र जाति जाट निवासी नोतमपुरा, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
2. तहसीलदार भू–अभिलेख फागी जिला जयपुर।

..... रेस्पोडेन्ट्स

अपील सख्याः–680/2012 (जीसीएमएस नं. 2012/00182)

1. रामचन्द्र पुत्र स्व. घासीराम जाति जाट निवासी बालापुरा (लदाना), तहसील फागी, जिला जयपुर।

.....अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमति ग्यारसी देवी पत्नी रामचन्द्र जाति जाट निवासी नोतमपुरा, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
2. तहसीलदार भू–अभिलेख फागी जिला जयपुर।

..... रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांक 01.03.2021

अपीलार्थी द्वारा यह दोनों अपीलें अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त कलेक्टर (द्वितीय) जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 06.08.2007 के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने दोनों अपीलों के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नामान्तकरण संख्या 124 वाके ग्राम गोपालनगर एवं नामान्तरकरण संख्य 141 वाके ग्राम बालापुरा पर दिनांक 29.05.1993 को तहसीलदार फागी द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध इस आशय की पेश की अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 स्व. घासी की संतान है एवं उनकी पुत्री है इसलिए घासी की मृत्यु होने पर उसकी विरासत का नामान्तरकरण प्रार्थी के बिना सुने अपीलान्ट रामचन्द्र व उसाकी माता स्व. घासीदेवी पत्नी घासी के नाम गलत रूप से खोला गया और हाल रेस्पोडेन्ट संख्या । ने उक्त नामान्तकरणों की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 01.12.2002 को होना बताया व नामान्तकरण नकल दिनांक .07.08.2004 मिलने का कथन प्रकट किया एवं उसके बाद अपील दिनांक 04.12.4004 को पेश कर दी एवं रेस्पोडेन्ट अपील व अपील के साथ संलग्न धारा 5 मियाद अधिनियम में यह तथ्य अंकित किया हाल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 एक ने वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी में अपीलान्ट व अन्य के विरूद्ध दावा

P.T.O.

बाबत घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया है जिसमें विपक्षी हाल अपीलान्ट को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाने का तथ्य वर्णित कर अपील स्पीकार करने का निवेदन किया अपीलान्ट उपस्थित एवं उन्होंने अपील में वर्णित तथ्य का खण्डन किया, अपीलान्ट ने कहा हाल रेस्पोडेन्ट उसकी पिता की संतान नहीं है, और व उसका एक व्यक्ति किसी प्रकार कोई संबंध नहीं है एवं अपील मियाद बाहर प्रस्तुत कोने के प्रारम्भिक स्टेज पर खारिज करने का निवेदन किया परन्तु अधीनस्थ न्यायालय मनमाने तरीके से अपील को अन्दर मियाद मानकर रेस्पोडेन्ट को स्व. घासी पुत्री मानकर नामान्तकरण संख्या 124 व 141 खारिज करने का निर्णय पारित किया है जो विधि विरूद्ध होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की अपील को अन्दर मियाद मानने की अहम कानूनी भूल की है। जबकि स्वयं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अपनी अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में उक्त नामान्तरकरण की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 01.12.2002 को बता रही एवं फिर जानकारी नकल मिलने की दिनांक 07.08.2004 को बता रही एवं उसके बाद भी अपील 04.12.2004 प्रस्तुत कर रही है जो कि स्पष्टतया अपीलान्ट हाल रेस्पोडेन्ट के स्वयं के कथन से ही अपील मियाद बाहर है फिर अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी युक्तियुक्त तर्कसंगत मानने के बिना ही मनमाने तरीके से अपील को अंदर मियाद मानने की अहम कानूनी भूल की है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर कतई गौर नहीं किया कि उक्त दोनों नामान्तकरण संख्या 124, 141 को जब रेस्पोडेन्ट ने अपने स्वयं के दावे में जो कि सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट दूदू के यहां विचाराधीन है में उक्त नामान्तकरणों को प्रस्तुत किया है एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी स्वयं के बयान दिनांक 19.11.2003 को उनको प्रदर्श करवाया है, जो प्रदर्श 4 व 5 है उक्त तथ्य नजरअंदाज कर अधीनस्थ न्यायालय ने मनमाने तरीके से अपील को अंदर मियाद मानने में अहम कानूनी भूल की है। उन्होने यह भी कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर निर्णय पारित किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अपनी अपील में स्वयं वाद बाबत घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत करना स्वीकार रही है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने मनमाने तरीके से नामान्तरकरण को खारिज करने में अहम कानूनी त्रुटि की है जबकि माननीय उच्च न्यायालय ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि आर. आर.टी. 2003 (I) पी 650 जीतूसिंह बनाम भंवरसिंह में कहा कि "नामान्तकरण कार्यवाहियां राजस्व (कर) संबंधित प्रविष्टियां जैसे कि नामान्तकरण कोई हित या स्वतंत्र उत्पन्न नहीं करती है, संपत्ति में ना ही उत्तराधिकार का कठिन विवाधक वसीयत या गोद द्वारा नामान्तरकरण कार्यवाहियों में निश्चय किया जा सकता है और पक्षकारों को स्वामित्व स्थापित करने के लिए उचित संस्थानो में जाना होगा" एवं इसी संबंध में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर

का निर्णय आरआरडी 2003 पी 403 जिसमें भी यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि नामान्तरकरण कार्यवाही फिजिकल प्रोसीडिंग्स है एवं इसमें हक का निर्णय नहीं हो सकता और नियमित वाद विचाराधीन है वहां नामान्तकरण का खारिज नहीं किया जा सकता इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.08.2007 पारित किया गया है जो विधि विरूद्ध होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 आपस में सगे भाई–बहन व एक ही परिवार के सदस्य है तथा वे वादग्रस्त आराजी में बराबर–बराबर अर्थात 1/2 प्रत्येक खातेदार काश्तकार है एवं मौके पर काबिज रहकर निरन्तर काश्त करते चले आ रहे है एवं सरकारी लगान अपने–अपने हिस्से के अनुसार जमा करवाते आ रहै है, उक्त कृषि भूमि पुश्तैनी जायदाद है जो कि विरासत में प्राप्त हुई है, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पिता घासीराम का दिनांक 21.02.1993 को स्वर्गवास होने के उपरान्त अपीलान्ट ने पटवारी से सांठ–गांठ कर अपने पक्ष में रिपोर्ट बनवाकर स्वयं नाम से सारी भूमि का नामान्तरकरण खुलवाने हेतु कैम्प लदाना के समक्ष दिनांक 28.05.1993 को प्रस्तुत करवायी एवं मुताबिक रिपोर्ट पटवारी तहसीलदार ने दिनांक 29.05.1993 को ही अपीलान्ट के नाम वादग्रस्त नामान्तरकरण स्वीकार कर तस्दीक कर दिया एवं समस्त भूमि विरासत के आधार पर अकेले अपीलान्ट के नाम कर दी गई जो विधि विरूद्ध होने से नामान्तरकरण निरस्तनीय ही थे।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कथन किया है कि तहसीलदार ने इस तथ्य पर गौर नही किया कि मृतक घासीराम जाट के उत्तराधिकारी सम्बन्ध में पटवारी हल्का द्वारा विस्तृत जानकारी प्राप्त नही की गई एवं अपीलान्ट को निजी लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से विरासत में केवल अपीलान्ट का नाम दर्शित करते हुए रिपोर्ट प्रेषित कर दी जिसके आधार पर अपीलाधीन नामान्तरकरण तस्दीक करने में भारी कानूनी त्रुटि की गई है जिसकी जानकारी होने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जानकारी की दिनांक से अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत की गई थी जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में विधिवत कार्यवाही कर एवं अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त ही गुणावगुण पर अपीलाधीन अदेश दिनांक 06.08.2007 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। नामान्तरकरण संख्या 124 वाके गोपालनगर एवं नामान्तरकरण संख्या 141 वाके ग्राम बालापुरा की छाया प्रति के अवलोकन से जाहिर होता है वादग्रस्त आराजी के खातेदार घासी की मृत्यु होने पर

विरासत का नामान्तरकरण दिनांक 28.05.1993 को पटवारी हल्का द्वारा भरकर पेश किये जाने पर तहसीलदार द्वारा दिनांक 29.05.1993 को स्वीकार कर लिया गया है किन्तु नामान्तरकरण में ऐसा कोई तथ्य अंकित नही किया गया है जिससे यह साबित होता हो कि उक्त नामान्तरकरण स्वीकार करने से पूर्व मृतक खातेदार के वारिसान की कोई जॉच की गई थी तथा अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.08.2007 जॉच हेतु रिमाण्ड ही किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की दोनों अपीले खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलक्टर द्वितीय जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.08.2007 को यथावत रखा जाता है।

(डॉ0समित शर्मा)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 01.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।